



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU - 560 037

**वर्ग अनुमोदन सं.:1352 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1352**

विषय/Sub: फ्यूल कंटेंट गेजिंग मेन मिडिल टैंक (एम एम टी) प्रोब, पार्ट सं. 235700000

**Fuel Content Gauging Main Middle Tank (MMT) Probe**  
**Part Number 235700000**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), लखनऊ- 226 016, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ -226 016 द्वारा उत्पादित " फ्यूल कंटेंट गेजिंग मेन मिडिल टैंक (एम एम टी) प्रोब " पार्ट सं. 235700000 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1352, दिनांक 15 सितंबर 2008, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1352 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1352-1आर, दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा नवीकरण जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

*This is to state that the "Fuel Content Gauging Main Middle Tank (MMT)" bearing the Part No.: 235700000, designed and developed by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC), Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016 was issued with Type Approval No.: 1352 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1352, dated: 15<sup>th</sup> September 2008. Subsequently it was renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1352-1R dated: 30<sup>th</sup> January 2014 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*



आरसीएमए (लखनऊ) के मांग के आधार पर, संदर्भ सं: आरसीएमए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 13 नवंबर 2018 द्वारा उक्त वर्ग अनुमोदन सं.1352 में निम्नलिखित संशोधन लागू होता है:

*The following Amendment is effected based on the request from RCMA (Lko) vide Ref. No.: RCMA (Lko) / 341/3/Tech /4, dated: 13<sup>th</sup> November 2018 in the subject Type Approval Number: 1352.*

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. सेमिलैक/5070/टीए-1352, दिनांक 15 सितंबर 2008 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ सं.1 में, तालिका 1 की अंतिम पंक्ति में (अस्थायी मंजूरी सं. के बाद) जोड़िए।

*In Page 1 Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: CEMILAC/5070/TA-1352, dated: 15<sup>th</sup>September 2008, **add** the following as last row of the Table No.: 1 (after Provisional Clearance No.):*

<b>ACBS Reference</b>	<b>ACBS No.: 235700000 – 264, Issue – '1M', dated: 07<sup>th</sup> August 2018</b>
-----------------------	--

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), सेमिलैक, डी आर डी ओ, रक्षा मंत्रालय, लखनऊ - 226 016, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> February 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> January 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), CEMILAC, DRDO, Ministry of Defence, Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 1352, दिनांक 15 सितंबर 2008 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (05) पाँच में निम्नलिखित संशोधन लागू है।



*The Para (05) five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1352, dated: 15<sup>th</sup> September 2008 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं./No.:सेमिलैक / CEMILAC/ 5070 /टी.ए/TA-1352 /2R

दिनांक/Date : 11 February 2019

फैक्स सं./ Fax No.: 080 – 2523 0856

*R. Q. JR*

*P. Jayapal*

पी . जयपाल / P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता) /

Chief Executive (Airworthiness)